भारत सरकार

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की 398वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्थान - बोर्ड रूम, चौथी मंजिल, धरोहर भवन, 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

दिनांक एवं समय - 18 जुलाई, 2023 पूर्वाह्न 11:00 बजे

******

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया:

1. श्री टी.एन. तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण - बैठक के अध्यक्ष
2. श्री हेमराज आर कामदार, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
3. कर्नल साव्यसाची मारवाह, निदेशक राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

कार्यसूची संख्या 01

397वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एनओसी आवेदनों पर विचार

ऑनलाइन नए मामले:

मामला संख्या 01

(श्री उमामहेश्वर पुत्र श्री नरसप्पा सिंदुर, पी एंड टी क्वारटर्स के पीछे, मल्लिकार्जुन नगर, विजयापुर)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सर्वे नं. 740बी, पी नं. 53, विजयापुर, बीजापुर, कर्नाटक में कुल **16.40 मीटर** की ऊंचाई+बेसमेंट की गहराई=2.65 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट+जीएफ+3 मंजिल के साथ बेसमेंट=215.19 वर्गमीटर, जीएफ=181.49 वर्गमीटर, 1एफ=2एफ =232.65 वर्गमीटर, 3एफ=200.89 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ वाणिज्यिक भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों की सूची के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 02

(श्री संजयभाई जीवनभाई परमार, शिवराज सिंह रोड, सुदामापुरी, द्वारका, जिला देवभूमि, द्वारका-361335)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सी.एस. नं. 1234-ए, शीट नं. 31, द्वारका, देवभूमि द्वारका, गुजरात में कुल **09.00 मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ+1+छत तल के साथ जीएफ=36.77 वर्गमीटर, 1एफ=30.84 वर्गमीटर, छत तल=07.15 वर्गमीटर

तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों की सूची के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 03

(श्री निखिल प्रभुलाल टांक तथा सचिन प्रभुलाल टांक, आनन्द चौक, रेतवा पाडो, द्वारका, जिला देवभूमि, द्वारका-361335)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **7.50 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित करने के लिए कहते हुए मामले को वापिस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 04

(श्रीमती शारदा पत्नी चंद्र मोहन चोपड़ा, #5513, लाजपत चौक, पूजा वाला मोहल्ला, भटिंडा)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में जैड 107676, एसटी नं. 13, मिनी सैक पूजा वाला मोहल्ला, भटिंडा, पंजाब में कुल **11.35 मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ तीन मंजिल+ममटी के साथ जीएफ=131.73 वर्गमीटर, 1एफ=131.73 वर्गमीटर, 2एफ=66.05 वर्गमीटर, ममटी=7.24 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, पंजाब की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों की सूची के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 05

(श्रीमती अनिता चौधरी, सी-36, हाउसिंग सोसायटी, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सी-36, हाउसिंग सोसायटी, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली में कुल **17.99 मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिल के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 124.78 वर्गमीटर, बेसमेंट की गहराई = 3.65 मीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। कुल **17.99 मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के प्रस्तावित निर्माण के लिए एनओसी (i) सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली द्वारा अपनी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट शर्तों और (ii) संगत/स्थानीय भवन उप-नियमों के अध्यधीन प्रदान करने की सिफारिश की जाती है।

मामला संख्या 06

(श्रीमती जसबीर कौर, ए1/62, पंचशील एनक्लेव, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में ए1/62, पंचशील एनक्लेव, नई दिल्ली में कुल 17.99 **मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिल के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = 1एफ = 2एफ = 3एफ = 161.07 वर्गमीटर, बेसमेंट की गहराई = 3.65 मीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। कुल 17.99 **मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के प्रस्तावित निर्माण के लिए एनओसी (i) सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली द्वारा अपनी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट शर्तों और (ii) संगत/स्थानीय भवन उप-नियमों के अध्यधीन प्रदान करने की सिफारिश की जाती है।

मामला संख्या 07

(सामाजिक विकास परिषद, संघ रचना, 53, लोदी एस्टेट, नई दिल्ली-110003)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में संघ रचना, 53, लोदी एस्टेट, नई दिल्ली-110003 में कुल 13.47 **मीटर** की ऊंचाई (कुल मिलाकर) सहित लिफ्ट, जीएफ = 1एफ = 2एफ = 6.844 वर्गमीटर में शाफ्ट के तलक्षेत्र, मौजूदा बेसमेंट की गहराई = 3.39 मीटर के साथ निर्माण के लिए सामाजिक विकास परिषद के मौजूदा संस्थागत भवन में परिवर्धन/परिवर्तन के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। कुल 13.47 **मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के प्रस्तावित निर्माण के लिए एनओसी (i) सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली द्वारा अपनी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट शर्तों और (ii) संगत/स्थानीय भवन उप-नियमों के अध्यधीन प्रदान करने की सिफारिश की जाती है।

ऑफलाइन नए मामले

मामला संख्या 01

(श्रीमती लुजाइना एवं अन्य, पोक्काकिलाथ हाउस, अरियान्नूर पी. ओ, त्रिशूर-680102, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सर्वे नं. 995/2995/3-1, वार्ड नं. 4, कंदनसेरी, कुनामकुल्लम, त्रिशूर में कुल 6.85 **मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ भूतल के साथ जीएफ = 76.92 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 02

(श्री मोहम्मद कुन्ही बी., राहमानिया मंजिल, हाइड्रोस जूमा मस्जिद, बेकल फोर्ट, पी. ओ. कसारगोड-671316)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **7.50 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित करने के लिए कहते हुए मामले को वापिस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 03

(श्री लक्षमणन, पुथुवथहिल हाउस, मंजनमूला, अवितथूर, पी. ओ. त्रिशूर-680683, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सर्वे नं. 499/2-21, वार्ड नं. 7, काडुप्पासेरी, वेलूक्करा, कुकूंदापुरम, त्रिशूर में कुल **4.15 मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ भूतल के साथ जीएफ = 60.00 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित सूची की निबंधनों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 04

(श्रीमती सावित्रि एवं सिवन, थेक्कत हाउस, वडाका नाडा, अवितथूर, पी. ओ. त्रिशूर-680683, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सर्वे नं. 562/3-18, वार्ड नं. 7, काडुप्पासेरी, वेलूक्करा, मुकूंदापुरम, त्रिशूर में कुल **4.15 मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ भूतल के साथ जीएफ = 89.32 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित सूची की निबंधनों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 05

(श्री शिवदासन, कुंडुपाराम्बिल हाउस, इय्यल पी. ओ. त्रिशूर-680501, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सर्वे नं. 1217/2-16, वार्ड नं. 13, काडानगोड, इय्यल, कुन्नामकुलम, त्रिशूर में कुल **7.75 मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ = 85.77 वर्गमीटर, 1एफ = 60.17 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित सूची की निबंधनों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 06

(श्री अबदुल हमीद, शहिना मंजिल, हाइड्रोस जूमा मस्जिद, बेकल फोर्ट, पी. ओ. कसारगोड-671316, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आर एस नं. 84/9, वार्ड नं. 22, पल्लिक्केरा, होशदुर्ग, कसारगोड में कुल **7.85 मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ = 181.64 वर्गमीटर, 1एफ = 87.52 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में

उल्लिखित सूची की निबंधनों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 07

(श्रीमती लुबना एवं अन्य, पोकाकिलाथ हाउस, अरियान्नूर, पी. ओ. त्रिशूर-680102, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सर्वे नं. 995/2, 995/3-1, वार्ड नं. 4, कंदनसेरी, कुन्नामकुलम, त्रिशूर में कुल 6.**85 मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ = 78.88 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित सूची की निबंधनों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 08

(श्रीमती लुथिफिया एवं अन्य, पोकाकिलाथ हाउस, अरियान्नूर, पी. ओ. त्रिशूर-680102, केरल)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सर्वे नं. 995/2, 995/3-1, वार्ड नं. 4, कंदनसेरी, कुन्नामकुलम, त्रिशूर में कुल 6.**85 मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ = 77.53 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित सूची की निबंधनों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 09

(श्री विजय गंगाधर जाधव, बी/65, बांद्रा पुलिस क्वार्टर, भाभा हास्पिटल के सामने, आर. के. पत्रकार मार्ग, बांद्रा वेस्ट, मुम्बई-411005, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **7.50 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित करने के लिए कहते हुए मामले को वापिस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 10

(श्री सुरेश विष्णु किर्तने, सीटीएस नं. 1170, एफ. पी. नं. 873, प्लाट नं. 26बी, रिवेन्यू कालोनी, भाम्बुर्दा (शिवाजी नगर) पुणे-411005)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सीटीएस नं. 1170, एफ. पी. नं. 873, प्लाट नं. 26बी, रिवेन्यू कालोनी, भाम्बुर्दा (शिवाजी नगर) पुणे-411005, महाराष्ट्र में कुल 23.**97 मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ भूतल + प्रथम तल + 6 मंजिल के साथ जीएफ = 40.63 वर्गमीटर,

1एफ = 2एफ = 3एफ = 4एफ = 5एफ = 6एफ = 180.33 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित सूची की निबंधनों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 11

(श्री गिरीश सदाशिव टाकले, 'शिव मंगल', भूखंड संख्या 27, सर्वेक्षण संख्या 7, शर्दा नगर, गंगापुर रोड, नासिक-422013, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा एएसआई के स्थानीय अधिकारियों और सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र के साथ निर्माण के प्रस्तावित कार्यस्थल का दौरा किया जायेगा।

मामला सं 12

(श्री शशि जाधव डवपलर्स प्रा. लि. अपने निदेशक श्री शशि राम चंद्र जाधव स्वंय एवं अन्य के माध्यम से, तीसरा तल, जाधव मार्केट सरस्वती विद्यालय के निकट, एम.जी रोड, जिला-नासिक - 422001, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा एएसआई के स्थानीय अधिकारियों और सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र के साथ निर्माण के प्रस्तावित कार्यस्थल का दौरा किया जायेगा।

मामला सं 13

(प्रधान अधिकारी, नगर परिषद पैथन, पैथन, तहसील-पैथन, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में सीटीएस संख्या 4429, नगर परिषद, पैथन के सामने तहसील-पैथन, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र में 19.00 मीटर की कुल ऊंचाई (सब मिलाकर) के साथ तल क्षेत्र + तलघर के साथ, तलक्षेत्र = 257.47 वर्गमीटर, तलघर = 123.64 वर्गमीटर के साथ जन उपयोग निर्माण कार्य (उत्थापित जल भंडारण जलाशय) के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। उत्थापित जल भंडारण जलाशय का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>ऑनलाईन मामलो का अनुपालन:</u>

<u>मामला सं 1</u>

(मैसर्स सुमंगली प्रोपर्टी प्रा.लि., आनंद शिवाजी (स्वामी) 5/161, पेरूमल कॉइल स्ट्रीट, मेधावकलम, चेन्नई-600100)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में 412/1सी 3 पेरूमबक्कम, चेगंलपट्टू, तमिलनाडु में 10.92 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1 एफ = 325.00 वर्गमीटर, हैडरूम = 32.50 वर्गमीटर, परिसर की दीवार = 1.50 मीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला सं 2</u>

(श्री अशोक, 5/161, पेरूमल कॉइल स्ट्रीट, मेधावकलम, चेन्नई-600100)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में 412/1सी 2 पेरूमबक्कम, चेगंलपट्टू, तमिलनाडु में 10.92 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1 एफ = 325.00 वर्गमीटर, हैडरूम = 32.80 वर्गमीटर, परिसर की दीवार = 1.50 मीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला सं 3</u>

(श्री आर किरूबकरन, एस1, स्वर्णा किरूबा अपार्टमेंट्स, संख्या-4ए, देवेद्ररन नगर, वेंगेवासल, सेलाईयूर, चेन्नई-600073)।

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में भूखंड जी/एस सं. 418/25 एवं 41, पेरूबक्कम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में 14.55 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ स्टील्ट + 3 मंजिलों के साथ एफ.एस.आई. क्षेत्र 1एफ = 2एफ = 3एफ = 182.09 वर्गमीटर, गैर एफ.एस.आई क्षेत्र; स्टील्ट तल = 182.09 वर्गमीटर, हैडरूम = 18.29 वर्गमीटर, परिसर की दीवार = 1.50 मीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 4

(श्रीमती आर. गिरिजा, भूखंड संख्या 1, स्वामी नगर एक्सटेंशन, जमीन पल्लवरम, चेन्नई-600117)।

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में भूखंड संख्या 1, क्र.सं. 85/4ए, पल्लवरम, चैंगलपट्टू, तमिलनाडु में 16.88 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ स्टील्ट + 3 मंजिलों के साथ एफ.एस.आई. क्षेत्र: 1एफ = 2एफ = 3एफ = 115.02 वर्गमीटर, गैर एफ.एस.आई क्षेत्र; स्टील्ट तल = 115.02 वर्गमीटर, हैडरूम एवं लिफ्ट मशीन रूम = 16.82 वर्गमीटर, परिसर की दीवार = 1.52 मीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 5

(श्रीमती सोमा छुआ धर्मपत्नी विश्वजीत छुआ, गांव मथुरा बिहारी, डाकघर भारा, पुलिस स्टेशन विष्णुपुर, जिला बंकुरा, पश्चिम बंगाल, पिन-722157)।

आवेदन पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 7.50 मीटर (सब मिलाकर) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला सं 6

(श्री बच्चु दास, एटी, धूकापडा, डाकघर विष्णुपुर, पुलिस स्टेशन विष्णुपुर, जिला-बंकुरा, पिन-722122)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में आस.एस. 13380, एल.आर 22313, किला (बी.एड कॉलेज रोड), बंकुरा, पश्चिम बंगाल में 9.00 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, एसवीएसी यूनिट, ऐलीवेटर के लिए मशीन रूम अथवा अन्य सेवाएं आदि) के साथ जीएफ + 1 तल के साथ जीएफ = 1एफ = 42.06 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 7

(श्री विशाल पंकज कुमार ठक्कर, वी.पी बिल्डकॉन के स्वामी, मैथरन सोसाईटी, भगवान नगर टेकरो, पल्दी, अहमदाबाद)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में टी.पी.एस. संख्या 6, पल्दी (फाइनल), एफ.पी संख्या 103, पल्दी, अहमदाबाद, गुजरात में 22.80 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 5 मंजिलों के साथ; जीएफ = 1 एफ = 2 एफ = 3 एफ = 4 एफ = 5 एफ = 251.00 वर्गमीटर के तल क्षेत्र और छत का तलक्षेत्र (एससी+एलएमआर+ओएचडब्ल्यूटी) = 45.00 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया।, एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 8

(श्री दीपक रमेश चन्द्र मेहता और श्रीमति बीना दीपक कुमार मेहता, ऋषभ बिल्डकोन, भवन फ्लॅट के सामने, B-4, सुपन अपार्टमेंट 1, नारायण नगर रोड, वासना, अहमदाबाद-38007)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में आवेदक को प्रस्तावित कार्य स्थल के प्रमाणित राजस्व अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापिस** भेजने का निर्णय लिया गया। आवेदक द्वार प्रस्तुत शेयर प्रमाणपत्र स्वीकार्य नहीं हैं।

मामला सं 9

(श्रीमती पलविंदर कौर धर्मपत्नी जोर्गीदर सिंह, संपति संख्या बी-6/56, नाकोदार रोड, नुरमहल, तहसील पिल्लौर, जिला जालधंर)

आवेदन पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 11.65 मीटर (सब मिलाकर) तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला सं 10

(श्री प्रदीपलाल तिवारी, 8-735, सीटीएस-2791 आसिफ गंज, गुलबर्ग, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में 8-735, फोर्ट रोड आसिफ गंज, गुलबर्ग में कैनोपी की कुल ऊंचाई = 5.10 मीटर, बिक्री भवन = 4.35 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, ऐलिवेटर के लिए मशीन रूम एवं अन्य सेवाएं) + भूमिगत एलपीजी भंडारण टैंक की गहराई = 3.174 मीटर (भूतल से नीचे); कुल भूखंड क्षेत्रफल = 882.396 वर्गमीटर (नियंत्रण और बिक्री कक्ष = 20.00 वर्गमीटर) के साथ ऑटो एलपीजी डिस्पेंसिंग स्टेशन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

ऑफ लाईन मामलों का अनुपालन:

मामला सं 1

(श्रीमती सुमित मलिक, भूखंड संख्या 125, मधुसूदन नगर, यूनिट-IV भुवनेश्वर-751001, खुर्दा, ओड़ीसा)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में भूखंड संख्या 3231, 3232/5829, 3233/5830 और 3234/5831, मौजा गोतम नगर, भुवनेश्वर, खुर्दा, ओडिशा में 10.80 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ स्टील्ट तल + 2 मंजिलों के साथ स्टील्ट तल = 1एफ = 2एफ = 123.56 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, ओडिशा की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 2

(श्री बालमुकुंद डी. पालीवॉल और कुसुम बी. पालीवॉल, भामापेठ, वार्ड संख्या 2, चंद्रपुर-442404, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में भूखंड सं. 14721, मौहल्ला-बाबूपेठ, शीट संख्या 1, ब्लॉक संख्या 103, चंद्रपुर, महाराष्ट्र में 7.35 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1 एफ = 407.56 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 3

(श्री के. चंद्रप्पा सुपुत्र करीबसप्पा, अमृतपुरा @ डाक, तरीकेरे तालुक, चिकमंगलुरू, कर्नाटक-577228)

आवेदन पर विचार करने के बाद, इस मामले में संपति संख्या 150900700400120025, जी.पी असिस्ट संख्या 260/4, अमृतपुरा गांव, अमृतपुरा (मुख्यालय) तारीकेरे (तालुक), चिकमंगलुरू (डी) में 10.00 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = 1 एफ = 116.21 वर्गमीटर, 2 एफ = 20.71 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की

रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 4

(कार्यकारी अभियंता, जल निगम परिसर दशावतार मंदिर, देवगढ़ के पास दोडाघाट, ललितपुर)

मामले पर विचार करने के बाद इस मामले में 63एमएम की उच्च् घनत्व वाली पॉली एथलीन पीएन-06 पाईपो का प्रयोग करते हुए धोरा बालाबेहेट ग्राम समूह पेयजल योजना के भूतल स्तर से एक मीटर नीचे पानीं की पाईप लाईन (हर घर जल पाईप लाईन बिछाना) डालने के सार्वजनिक निर्माण कार्य हेतु एनओसी अन्नापत्ति प्रमाण प्रदान करने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी को सक्षम प्राधिकारी, लखनऊ की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

ऑफ लाईन मामलों पर पुर्नविचार

मामला सं 1

(श्री विजय कुमार सिदरम्पा देशमुख, सी.एस. सं. 640/ए/1, घर सं. 605, दक्षिण कसवा, राजवाड़ा चौक, जिला-शोलापुर, महाराष्ट्र-403007)

प्राधिकरण ने इस आवेदन पर नये सिरे से विचार किया और ऊंचाई को 10.05 मीटर (सब मिलाकर) तक सीमित रखने के अपने पूर्व के निर्णय को **दोहराया।** ऊंचाई में वृद्धि करने से नजदीक में स्थित केंद्रीय संरक्षित संस्मारक के दृश्य पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ सकता है और इसीलिए ऊंचाई बढाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया।

प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतिकरण

मामला सं 1

(श्री अनिल अग्रवाल, 226/30, चेबंर भवन, चौथा तल, कालबा देवी मार्ग, मुंबई -400002)

इस मामले पर विचार करने और आवेदक द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरण के पश्चात आवेदक को ''यथा निर्मित आरेखन'' और एनएमए द्वारा अनुमोदित/पुनवेदिकृत पिछली योजनाओं के साथ-साथ कोई परिवर्तन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया।